

प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक,
झाँसी मण्डल झाँसी।

सेवा में,

सचिव,

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, शिक्षा केन्द्र-2, समुदाय केन्द्र,
प्रीति विहार, नई दिल्ली।

पत्रांक/पी0ए0/एन0ओ0सी0/

/2024-25 • दिनांक-10-01-2025

विषय:-डॉ0 राम मनोहर लोहिया पब्लिक स्कूल बंगरा धवा-झाँसी को सी0बी0एस0ई0 बोर्ड, नई दिल्ली से
सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-1916/15-7-09-1(299)/2007 दिनांक-14.07.2009 द्वारा प्रदेश स्थित सी0बी0एस0ई0 तथा आई0सी0एस0ई0 बोर्ड द्वारा संचालित किए जाने के पूर्व संस्थाओं को राज्य सरकार के स्थान पर सम्बन्धित मण्डल के मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने का प्राविधान किया गया है। उक्त शासनादेश के अनुपालन में जनपद झाँसी में स्थित डॉ0 राम मनोहर लोहिया पब्लिक स्कूल बंगरा धवा-झाँसी के आवेदन पत्र पर मण्डल स्तर पर गठित समिति द्वारा विचार किया गया। समिति द्वारा विचारोपरान्त डॉ0 राम मनोहर लोहिया पब्लिक स्कूल बंगरा धवा-झाँसी को सी0बी0 एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने का निर्णय लिया गया:-

- 1-विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 2-विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 3-विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मैधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे, और उनमें उ0प्र0, माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 4-संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्ड्री एजुकेशन, नई दिल्ली/कौंसिल फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।
- 5-संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्ते से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
- 6-कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों का अनुमन्य सेवा निवृत्ति लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

कमश:पू0सं0-02 पर

Shubham
Shubham Sharma
(Principal)

Dr. Ram Manohar Lohiya Public School,
Bangra, Jhansi (U.P.)
UDISE-09364106062

Manager
Dr. Ram Manohar Lohiya Public School
Bangra, JHANSI (U.P.)

(2)

- 7-राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किए जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
- 8-विद्यालय का रिकार्ड,निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।
- 9-उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।
- 10-स्कूल सुरक्षा नीति वर्ष 2016 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय पर यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो उक्त प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।


भवदीय,


(प्रेम प्रकाश मौर्य)
संयुक्त शिक्षा निदेशक,
झॉंसी मण्डल झॉंसी।

पृष्ठांकन सं०/पी०ए०/एन०ओ०सी०/१०११-१५ /2024-25 तददिनांक-
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1-सचिव,माध्यमिक शिक्षा,उ०प्र०,शासन,लखनऊ।
- 2-आयुक्त महोदय झॉंसी मण्डल झॉंसी।
- 3-जिलाधिकारी, झॉंसी।
- 4-शिक्षा निदेशक(मा०)उ०प्र०,लखनऊ।
- 5-जिला विद्यालय निरीक्षक, झॉंसी।
- 6-निरीक्षक,आंग्ल भाषा विद्यालय,उ०प्र०,लखनऊ।
- 7-प्रबन्धक डॉ० राम मनोहर लोहिया पब्लिक स्कूल बंगरा धवा-झॉंसी।

(प्रेम प्रकाश मौर्य)
संयुक्त शिक्षा निदेशक,
झॉंसी मण्डल झॉंसी।


Manager
Dr. Ram Manohar Lohiya Public School
Bangra, JHANSI (U.P.)


Shubham Sharma
(Principal)
Dr. Ram Manohar Lohiya Public School,
Bangra, Jhansi (U.P.)
UDISE-09364106062